

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/पे-मैनेजर/5529-5568 दिनांक 17/9/2020


कोषाधिकारी
समस्त।

विषय:- दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कतिपय कार्मिकों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप पुराने सेवा नियम ही लागू होने के कारण जी.पी.एफ. कटौती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप कतिपय कार्मिकों पर दिनांक 01.01.2004 के बाद सेवा में कार्यग्रहण करने के उपरान्त भी पुराने सेवा नियम ही लागू होने तथा नवीन पेंशन नियम लागू नहीं होने के कारण जीपीएफ कटौती के साथ वेतन भुगतान किया जाता है।

इस हेतु पे-मैनेजर सिस्टम में डीडीओं लॉगिन में प्रावधान किया गया है जिसके द्वारा डीडीओं स्तर से न्यायालय के आदेश की प्रति अपलोड करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी है जिसका पाथ निम्नानुसार है :-



अतः ऐसे प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही डीडीओं स्तर से ही किए जाने के संबंध में संबंधित डीडीओं को अवगत करवाया जाना अपेक्षित है।

भवदीय



(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक